संख्या:58/2019/3339जेएल/22-3-19-100(57)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2019***

विषय: जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध 04 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19134/सामा-1(3)/गाजीपुर स्था0/2019, दिनांक 28-06-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 04 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी अंजनी राय पुत्र श्री राजनरायन राय	जि0का0गाजीपुर	जि0का0बरेली
2	वि0 बंदी अमित राय पुत्र श्री राम प्रवेश राय	जि0का0गाजीपुर	जि0का0कानपुर नगर
3	वि0 बंदी रितेश उर्फ अंकुर राय पुत्र श्री शशिकान्त राय	जि0का0गाजीपुर	जि0का0कौशाम्बी
4	सि0/वि0 बंदी श्रवण यादव पुत्र श्री परमा यादव	जि0का0गाजीपुर	के0का0आगरा

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:58/2019/3339जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/बरेली/कानपुर नगर/कौशाम्बी/आगरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/बरेली/कानपुर नगर/कौशाम्बी/आगरा।
5. अधीक्षक, जिला कारागार गाजीपुर/बरेली/कानपुर नगर/कौशाम्बी।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in